


फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

गोपाल लाल वगै० बनाम कैलाश वगै०

आद पत्र संख्या : 83 / 2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18.06.2024	<p>यह वाद वादीगण की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 188 आर०टी०ए० के तहत पेश किया। पत्रावली अवलोकन सहित दर्ज रजिस्टर होकर तलबी रजिस्टर्ड डाक प्रतिवादीगण को जारी होकर पत्रावली दिनांक 09.07.2024 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">               जयपुर जिला न्यायालय              जमवारामगढ           </p> <p>9/7/24 : पत्रावली पेश हुई। <u>दिनांक 19/7/24</u> को पेश हो</p> <p>पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब दिनांक <u>19/7/24</u> को पेश हो</p>	
	12/7/24	<p>पत्रावली के वकील वादी ने क वादी गण के श्री. पद्म बाबू दास वापस लेने हेतु पेश करने पर पत्रावली को तलबी गण। विद्वान श्री. पद्म बाबू वकील वादी की उता गण। वकील वादी क वादीगण के निवेदन कि जबकाल के बहाने शरीनाम के गण है। वाद के आते गद्दी खलाना चाहते हैं। विद्वान श्री. पद्म के शाखिल मिलल किण्ड पत्रावली का मजलूकत किण्ड गण। अतः वादीगण का विद्वान श्री. पद्म स्वीकार किण्ड पात है तलबी वाद के विद्वान मते की अउत कि उता की पाती है। अतः वादीगण का वाद इती तल पर विद्वान किण्ड पात है। पत्रावली को तल उता हेकर गण्ड ल कण हे तलबी वाद कि शाखिल इतर है।</p>	<p>12/7/24</p> <p>जयपुर जिला न्यायालय</p> <p>जमवारामगढ</p> <p>12/7/24</p> <p>श्री. पद्म बाबू दास</p>

उप खण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ